संख्या-77/2021/1466/छप्पन-2021-81/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 16 अगस्त, 2021

विषय: आर0 सी0 एस0 के अन्तर्गत चयनित प्रयागराज हवाईअड्डे पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 170/आर0सी0एस0-2021-एस-3/2019 दिनांक 22 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0 सी0 एस0 में चयनित प्रयागराज हवाईअड्डे से संचालित उड़ानों के लिए प्रदान की गयी सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं तथा उपकरणों के किराए हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,54,68,598/ (रुपए एक करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अट्ठानबे मात्र) के बिल का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

सन्दर्भ	अवधि	धनराशि (रूपए)
AAI/NR/RCS/2020 दिनांक 01-07-2020	01 जून, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक	1,17,82,257
AAI/NR/RCS/2020-21/1 दिनांक 09.12.2020	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक	16,06,353
AA/NR/RCS/2020-21/4 (2) दिनांक 10.03.2021	01 फरवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक	5,19,997
AAI/NR/RCS/2020-21/4 (3) दिनांक 07.04.2021	01 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक	5,19,997
AAI/NR/RCS/2021-22/1 दिनांक 10.05.2021	01 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक	5,19,997
AAI/NR/RCS/2021-22/2 दिनांक 08.06.2021	01 मई, 2021 से 31 मई, 2021 तक	5,19,997
योग		**1,54,68,598**

2- भारत सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0 ओ0 यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0 सी0 एस0 हवाई अड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं |

अतः श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एम0 ओ0 यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0 सी0 एस0 में चयनित प्रयागराज हवाईअड्डे पर प्रदान की गयी सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाओं हेतु उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,54,68,598/- (रुपए एक करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अट्ठानबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 1,54,68,598/- (रुपए एक करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अट्ठानबे मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों / आदेशों / प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा ।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800 अन्य व्यय-03-उ०प्र० नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा |

4 यह आदेश वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

<u>प्र0 सं0:-77/2021/ 1466 (1)/छप्पन-2021 तद् दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार ई0 एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10 |
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 |
5. निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in